पत्रांक 029 सेरी0/लेखा/आयो0 बजट/2017-18
रेशम निदेशालय, उत्तर प्रदेश
एल0डी0ए0 कामर्शियल काम्पलेक्स, प्रथमतल,
विश्वासखण्ड - 3 गोमतीनगर - लखनऊ।
दिनांक::लखनऊ:: 28 अगस्त, 2017

आहरण वितरण अधिकारी
कुशीनगर, गोरखपुर, बस्ती, गोण्डा, बहराइच
लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, मेरठ, सहारनपुर, औरैया,
कानपुर नगर, वाराणसी ।

रेशम विकास अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-10/2017/172/74-2-2017-17(ब)/2017 दिनांक 18 मई, 2017 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु अनुदान सं0-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्व विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के लेखाशीर्षक 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन- 05-माडल चाकी कीटपालन हेतु शहतूत उद्यान की स्थापना योजना हेतु कुल प्रावधानित धनराशि रू0 472.00 लाख के सापेक्ष प्रथम पॉच माह हेतु (अप्रैल से अगस्त, 2017) हेतु लेखानुदान रू0 155.00 लाख (रूपये एक करोड़ पचपन लाख मात्र) एवं शासनादेश संख्या-28/2017/643/74-2-2017-17(ब)/2017 दिनांक 25 अगस्त, 2017 द्वारा अवशेष सात माह हेतु रू0 317.00 लाख इस प्रकार कुल रू0 472.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुयी है। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि मे से रू0 3,14,12,600.00 (रूपये तीन करोड चौदह लाख बारह हजार छः सौ मात्र) का आवंटन संलग्नक के अनुसार निम्न शर्तो के अधीन किया जाता है :-

1. उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व एसी स्वीकृति/सहमति निदेशालय से अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
2. जिन मदों में धनराशि आवंटित की जा रही है उन्हीं मदों में धनराशि का व्यय की जाय अर्थात किसी भी स्थिति में मद परिवर्तन न किया जाय।
3. आवंटित धनराशि का नियमानुसार, जहां आवश्यकता हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर अथवा प्रतिनिधायन की सीमा के अर्न्तगत व्यय करना सुनिश्चित किया जाय।
4. प्रत्येक मद में आवंटित धनराशि की सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय और इसका ध्यान रखा जाय कि दायित्वों का सृजन किसी भी दशा में न होने पाये, यदि किसी प्रकार का ऋणात्मक व्यय किया जाता है तो संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।
5. आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय निदेशालय द्वारा निर्धारित वार्षिक योजना मे अंकित कार्यो पर ही किया जाएगा।
6. मजदूरी मद मे आवंटित की जा रही धनराशि का भुगतान संबंधित मजदूरो को नियमानुसार उनके बैक खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से E-Payment ही किया जाए।
7. शासन द्वारा समय-समय पर मितव्यतता से संबंधित निर्गत निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय।
8. यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे वित्तीय नियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पूर्व ही (दिनांक 10.03.2018 तक) निश्चित रूप से निदेशालय को समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें।
9. आवंटित धनराशि का उपयोग वास्तविकता के आधार पर किया जाए तथा किसी भी दशा में कोषागार से धनराशि आहरित कर बैक खाते में न रखा जाए। यदि इस प्रकार का प्रकरण प्रकाश में

आता है तो संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी जिम्मेदार होगे तथा वित्तीय अनियमितता मानते हुए आप के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

10. निदेशालय के पत्र संख्या-4594-सी/सेरी0/तक0/कार्य योजना/2016-17 दिनांक 22.03.2017 के द्वारा निर्गत वर्ष 2017-18 की कार्य योजना मे दर्शाये गये वृक्षारोपित क्षेत्रफल के अनुसार धनराशि का आवंटन किया गया है। सभी परीक्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे पुनः वृक्षारोपित क्षेत्रफल का सत्यापन करते हुए वास्तविक वृक्षारोपित क्षेत्रफल के अनुसार व्यय सुनिश्चित करे। यदि वास्तविक वृक्षारोपित क्षेत्रफल कार्य योजना में उल्लिखित क्षेत्रफल से कम होता है तो बची हुई धनराशि निदेशालय को समर्पित करना सुनिश्चित करे।
11. उक्त स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016-बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02.01.2017 एवं शासनादेश संख्या-8/2017-बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 मे दिये गये शर्तो /नियमो के अनुसार किया जाए।
12. योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग लक्षित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जाए।

आवंटित धनराशि का आहरण चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान सं0-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्व विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के लेखाशीर्षक 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-05-माडल चाकी कीटपालन हेतु शहतूत उद्यान की स्थापना योजना के नामे डाला जायेगा। इस आवंटन की प्रविष्टि अनुदान सं0-10 के वर्ष 2017-18 के आवंटन पंजिका के पृष्ठ-40 पर कर ली गई है।

<u>संलग्नक- उपरोक्तानुसार।</u>

(अनिल कुमार यादव) 29/8/17
निदेशक(रेशम)

पत्रांक ०२९ सेरी0/लेखा/आयो0 बजट/2017-18 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वरिष्ठ आडिट आफिसर(आडिट प्लानिंग), कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन-15-थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, कुशीनगर, गोरखपुर, बस्ती, गोण्डा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, मेरठ, सहारनपुर, औरैया, कानपुर नगर, वाराणसी ।
4. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. कैम्प निदेशक, रेशम एवं उप निदेशक, रेशम मुख्यालय-लखनऊ।
6. व्यय सहायक, मुख्यालय-लखनऊ एवं वरिष्ठ आडिटर, मुख्यालय लखनऊ।
7. प्रोग्रामर/कम्प्यूटर अनुभाग, रेशम निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से कि उपरोक्त को वेबसाइट पर अपलोड एवं ई-मेल कर दे।

<u>संलग्नक- उपरोक्तानुसार।</u>

(अमितोष श्रीवास्तव)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

पत्रांक 029 /सेरी0/लेखा/आयो0 बजट/2017-18 दिनांक: 28 अगस्त, 2017 का अनुलग्नक

अनुदान सं0- 10- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग -001-निदेशन एवं प्रशासन

05-माडल चाकी कीटपालन शहतूत उद्यान की स्थापना योजना के अर्न्तगत वर्ष 2017-18 हेतु आवंटित धनराशि का विवरण

(धनराशि रू0 मे)

क0 सं0	आहरण एवं वितरण अधिकारी का पदनाम	जनपद	कोषागार का नाम	02-मजदूरी	29-अनुरक्षण	42-अन्य व्यय	43-सामग्री और सम्पूर्ति	योग	पूर्व में योजना के अर्न्तगत आवंटित धनराशि का योग	प्रगामी योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सहायक निदेशक (रेशम)	कुशीनगर	कुशीनगर	1994000	150000	52500	577500	**2774000**	1350000	4124000
2	सहायक निदेशक (रेशम)	देवरिया	कुशीनगर	618000	45000	16500	172500	**852000**	431000	1283000
		योग		**2612000**	**195000**	**69000**	**750000**	**3626000**	**1781000**	**5407000**
3	सहायक निदेशक (रेशम)	बहराइच	बहराइच	2040000	140400	54000	600000	**2834400**	1381000	4215400
4	सहायक निदेशक (रेशम)	श्रावस्ती	बहराइच	1180000	88000	31500	337500	**1637000**	798500	2435500
		योग		**3220000**	**228400**	**85500**	**937500**	**4471400**	**2179500**	**6650900**
5	सहायक निदेशक (रेशम)	गोण्डा	गोण्डा	1145000	78000	30000	345000	**1598000**	785000	2383000
6	सहायक निदेशक (रेशम)	बलरामपुर	गोण्डा	894000	68000	22500	262500	**1247000**	604000	1851000
7	सहायक निदेशक (रेशम)	बाराबंकी	गोण्डा	126000	9700	3300	37500	**176500**	89200	265700
8	सहायक निदेशक (रेशम)	लखनऊ	गोण्डा	100000	7000	2700	30000	**139700**	72800	212500
9	सहायक निदेशक (रेशम)	सुल्तानपुर	गोण्डा	62000	4700	2000	18000	**86700**	43700	130400
		योग		**2327000**	**167400**	**60500**	**693000**	**3247900**	**1594700**	**4842600**
10	उप निदेशक (रेशम)	गोरखपुर	गोरखपुर	975000	74000	26000	285000	**1360000**	669500	2029500
11	उप निदेशक (रेशम)	महाराजगंज	गोरखपुर	1020000	74000	27000	285000	**1406000**	681000	2087000
		योग		**1995000**	**148000**	**53000**	**570000**	**2766000**	**1350500**	**4116500**
12	सहायक निदेशक (रेशम)	लखीमपुर	लखीमपुर	1675000	111800	43000	495000	**2324800**	1139000	3463800
13	सहायक निदेशक (रेशम)	सीतापुर	लखीमपुर	781000	60000	20000	232500	**1093500**	533500	1627000
		योग		**2456000**	**171800**	**63000**	**727500**	**3418300**	**1672500**	**5090800**
14	सहायक निदेशक (रेशम)	औरैया	औरैया	619000	40800	15700	180000	**855500**	418500	1274000
15	सहायक निदेशक (रेशम)	इटावा	औरैया	361000	25000	9000	97500	**492500**	233000	725500
16	सहायक निदेशक (रेशम)	मैनपुरी	औरैया	83000	5800	2100	22500	**113400**	54900	168300
17	सहायक निदेशक (रेशम)	आगरा	औरैया	85000	5800	2200	22500	**115500**	56000	171500
18	सहायक निदेशक (रेशम)	मथुरा	औरैया	114000	8200	3000	31500	**156700**	75500	232200
19	सहायक निदेशक (रेशम)	फिरोजाबाद	औरैया	109000	8200	3000	31500	**151700**	74500	226200
		योग		**1371000**	**93800**	**35000**	**385500**	**1885300**	**912400**	**2797700**
20	सहायक निदेशक (रेशम)	कानपुर नगर	कानपुर नगर	127000	9400	3300	36000	**175700**	84700	260400

21	सहायक निदेशक (रेशम)	उन्नाव	कानपुर नगर	192000	14000	5200	54000	**265200**	131500	396700
22	सहायक निदेशक (रेशम)	कानपुर देहात	कानपुर नगर	45000	3000	1500	10500	**60000**	30300	90300
		योग		**364000**	**26400**	**10000**	**100500**	**500900**	**246500**	**747400**
23	सहायक निदेशक (रेशम)	मेरठ	मेरठ	367000	27000	9600	105000	**508600**	243400	752000
24	सहायक निदेशक (रेशम)	सहारनपुर	सहारनपुर	2000000	165000	57000	637500	**2859500**	1443000	4302500
25	सहायक निदेशक (रेशम)	बिजनौर	मेरठ	930000	72000	24700	277500	**1304200**	652500	1956700
26	सहायक निदेशक (रेशम)	शामली	मेरठ	137000	10000	4000	37500	**188500**	90500	279000
		योग		**3434000**	**274000**	**95300**	**1057500**	**4860800**	**2429400**	**7290200**
27	सहायक निदेशक (रेशम)	पीलीभीत	पीलीभीत	1225000	93500	33000	360000	**1711500**	850000	2561500
28	सहायक निदेशक (रेशम)	शाहजहाँपुर	पीलीभीत	640000	43600	16800	180000	**880400**	428200	1308600
29	सहायक निदेशक (रेशम)	बरेली	पीलीभीत	461000	35000	12700	135000	**643700**	317500	961200
30	सहायक निदेशक (रेशम)	अमरोहा	पीलीभीत	28000	2000	1000	7500	**38500**	19600	58100
31	सहायक निदेशक (रेशम)	रामपुर	पीलीभीत	109000	8000	3000	31500	**151500**	73000	224500
32	सहायक निदेशक (रेशम)	बदायू	पीलीभीत	56000	4000	1500	16500	**78000**	40000	118000
33	सहायक निदेशक (रेशम)	मुरादाबाद	पीलीभीत	11000	0	0	0	**11000**	5000	16000
		योग		**2530000**	**186100**	**68000**	**730500**	**3514600**	**1733300**	**5247900**
34	उप निदेशक (रेशम)	वाराणसी	वाराणसी	87000	6000	2000	24000	**119000**	57000	176000
35	उप निदेशक (रेशम)	गाजीपुर	वाराणसी	308000	24000	8000	93000	**433000**	235500	668500
36	उप निदेशक (रेशम)	जौनपुर	वाराणसी	151000	11000	3700	42000	**207700**	99000	306700
37	उप निदेशक (रेशम)	मिर्जापुर	वाराणसी	53000	4000	1500	15000	**73500**	38500	112000
38	उप निदेशक (रेशम)	संतरविदास नगर	वाराणसी	79000	5500	2000	21000	**107500**	55300	162800
39	उप निदेशक (रेशम)	आजमगढ	वाराणसी	28000	2000	1000	7000	**38000**	18000	56000
40	उप निदेशक (रेशम)	बलिया	वाराणसी	231000	0	0	0	**231000**	100000	331000
41	उप निदेशक (रेशम)	मऊ	वाराणसी	21000	0	0	0	**21000**	9000	30000
		योग		**958000**	**52500**	**18200**	**202000**	**1230700**	**612300**	**1843000**
42	सहायक निदेशक (रेशम)	बस्ती	बस्ती	1270000	85000	31000	330000	**1716000**	830000	2546000
43	सहायक निदेशक (रेशम)	सिद्धार्थ नगर	बस्ती	126000	9400	3300	36000	**174700**	84700	259400
		योग		**1396000**	**94400**	**34300**	**366000**	**1890700**	**914700**	**2805400**
		महायोग		**22663000**	**1637800**	**591800**	**6520000**	**31412600**	**15426800**	**46839400**

(रूपये तीन करोड चौदह लाख बारह हजार छः सौ मात्र)

तेरह अंको का कोड नम्बर

2	8	5	1	0	0	0	0	1	0	5	0	0

(अमितोष श्रीवास्तव)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी